



आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, जोधपुर  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & C. Ex./ST, JODHPUR  
जी-105, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया बासनी, डीजल शेड के पास, जोधपुर-342003  
G-105, NEW INDUSTRIAL AREA BASNI, NEAR DIESEL SHED, JODHPUR-342003

\*\*\*\*\*

फा.सं.: 11(03)02/स्था./जेडीआर/2023/567

दिनांक 30.01.2023

स्थापना आदेश संख्या : 02/2023

दिनांक : 30.01.2023

कार्यालय मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 02/2023 दिनांक 05.01.2023 एवं स्थापना आदेश सं. 07/2023 दिनांक 25.01.2023 के तहत इस आयुक्तालय को आवंटित तथा इस कार्यालय में कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षकों का पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर किया जाता है:-

S. No.	Name of Officer S/Shri	From	To
1	Gaurav Goyal	On joining	CGST Range-15, Makrana (Division-C, Jodhpur)
2	Anil Kumar Chittora	On joining	Tech/RTI/Sevottam/Training/ Inspection/E-Office /Computer -CGST Hqrs., Jodhpur
3	Radhey Shyam Yadav	On joining	CGST Range-22, Jalore (Division-E, Pali)
4	Prakash Meena	Tech/RTI/Sevottam/Training/ Inspection/E-Office /Computer -CGST Hqrs., Jodhpur	CGST RANGE- 12, Merta (Hqrs. at Gotan) (Division-C, Jodhpur) Till 30.06.2023

कम संख्या 3 पर अंकित निरीक्षक को आज दिनांक 30.01.2023 (अपरान्ह) को कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह उनके नाम के आगे अंकित कार्यालय में तुरन्त कार्यग्रहण करें। कम संख्या 4 पर अंकित श्री प्रकाश मीना, निरीक्षक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

30/01/2023

(महिपाल सिंह)

अपर आयुक्त(का. एवं सत.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अपर आयुक्त (सीसीओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
2. उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर
3. उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग, ए.बी.सी-जोधपुर/डी.ई-पाली/एफ.जी-बीकानेर/एच. आइ-श्रीगंगानगर।
4. अधीक्षक (Com Admin)/EMD Manager, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर।
5. वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर व सीमा शुल्क, जयपुर।
6. महासचिव, संबंधित कार्यकारी अधिकारी संघ, जयपुर।
7. महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सी.जी.एस.टी. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ, राजस्थान
8. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर।
9. निजी प्रति/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड।
10. अधीक्षक (कम्प्यूटर) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने।